



मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Headquarters, Employees' State Insurance Corporation
(आई एस ओ 9001-2000 प्रमाणित)
पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002



चिन्ता से मुक्ति

www.esic.nic.in

संख्या : ए-49/11/7/96 हिंदी

दिनांक : 29 जनवरी , 2013

आदेश

विषय: सरकारी कामकाज हिंदी में करने के लिए अधिसूचित कार्यालय की कुछ शाखाओं/अनुभागों को विनिर्दिष्ट करना ।

राजभाषा नियम 1976 के नियम 8(4) के अन्तर्गत बीमा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने आदेश दिए हैं कि क्षेत्रीय कार्यालय, ओडिशा की प्रशासन शाखा -1 एवं प्रशासन शाखा -2 में पदस्थ ऐसे सभी कर्मचारी जिन्हें हिंदी में प्रवीणता प्राप्त है, इस आदेश के जारी होने की तारीख से टिप्पण, प्रारूपण और अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए कार्यालय के कामकाज में केवल हिंदी का प्रयोग करेंगे ।

तथापि जहाँ उक्त नियमों या किसी विधि के अधीन किसी अन्य भाषा का प्रयोग करना अपेक्षित है, वहाँ अन्य भाषा का उक्त कार्यालय के सरकारी कामकाज में प्रयोग किया जा सकेगा ।

(डॉ. पन्ना प्रसाद)
संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय ओडिशा

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एनडीसीसी-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 110001
3. आयुक्त (प्रशिक्षण),
4. क्षेत्रीय निदेशक /निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक,
5. निदेशक (चि.) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर,
6. चिकित्सा अधीक्षक,
7. वरिष्ठ राज्य चिकित्सा आयुक्त/राज्य चिकित्सा आयुक्त,
राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी/क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालय/निदेशालय (चिकित्सा)/अस्पताल/
राज्य चिकित्सा आयुक्त कार्यालय, क.रा.बी. निगम।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को वेबसाइट में डालने हेतु ।


संयुक्त निदेशक (रा.भा.)